रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-216/2021/1623/22-2-2021-17(664)/2021

लखनऊ: दिनांक: 14 दिसम्बर, 2021

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, खीरी में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी प्रेमा देवी पत्नी (बन्दी संख्या-180/2020) श्री शिवचरन कश्यप, निवासी मो0 प्रकाश नगर, थाना-कोतवाली सदर, जनपद-खीरी की रहने वाली है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-504/2011, में भा0द0वि0 की धारा-323/34, 324/34, 325/34498ए व 4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश(कोर्ट सं0-1), लखीमपुर के आदेश दिनांक 30.08.2016 द्वारा 02 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया है, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.08.2018 द्वारा यथावत रखा गया है, उक्त बंदी दिनांक 15.08.2021 तक 01 वर्ष 06 माह 12 दिन की अपरिहार सजा तथा 01 वर्ष 09 माह 12 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा महिला बन्दी द्वारा भोगी गयी सजा एवं सन्तोषजनक जेल आचरण तथा जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, खीरी द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, खीरी के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-216/2021/1623(1)/22-2-2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
2- जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी ।
3- पुलिस अधीक्षक लखीमपुर खीरी।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, खीरी।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in